"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 मई 2006—वैशाख 18, शक 1928

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उप नियम (2) के खण्ड (ग) तथा (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं :—

(ग) जो किसी पुल, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग, रेलपथ से 100 मीटर की दूरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क, लोक निर्माण विभाग की अन्य जिला सड़कों से 50 मीटर, तथा ग्रामीण कच्चे रास्ते से 10 मीटर या किसी सार्वजनिक स्थान से 50 मीटर के भीतर, प्रदान नहीं किया जावेगा,

परन्तु विद्यमान उत्खनिपट्टों के मामले में उक्त संशोधित प्रावधान इन उत्खनिपट्टों के नवीकरण के दिनांक से लागू किये जायेंगे.

(घ) नदी के किनारों तथा बांध से 100 मीटर के भीतर हो तथा नालों (पानी का छोटा प्रवाह), नहर या कोई प्राकृतिक जल स्रोत या कोई जल परिबद्ध करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर हो, खनिज रेत तथा बजरी निकालने के सिवाय, प्रदान नहीं किया जावेगा.

परन्तु विद्यमान उत्खनिपट्टों के मामले में उक्त संशोधित प्रावधान इन उत्खनिपट्टों के नवीकरण के दिनांक से लागू किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-7/2004/12 दिनांक 6-5-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 6th May 2006

NOTIFICATION

No. F 7-7/2004/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For clause (c) and (d) of sub-rule (2) of Rule 5, the following shall be substituted :—

(c) Within a distance of 100 metres from any bridge, national/state highway, railway line, 50 metres from the road constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, other District Roads of Public Works Department; and 10 metres from grameen kachcha rasta; or 50 metres from any public place;

Provided that the amended provisions shall be made applicable from the date of renewal of the existing quarry leases.

(d) except for mineral sand or bajri, within a distance of 100 metres from river banks, dam; 50 metres from nalas (small water course) canal or any natural water course or any water impounding structure.

Provided that the amended provisions shall be made applicable from the date of renewal of the existing quarry leases.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. K. TYAGI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.